झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प 5606 / 349

राँची, दिनांक 25/6/13

विषयः राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–398 दिनांक–16.01.2000 में संशोधन।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प, संख्या–398 दिनांक–16.01.2012 द्वारा भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति हेतु ग्रेड पे आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका–4 में एक नयी उपकंडिका निम्नरूपेण अन्तःस्थापित करने का निर्णय लिया गया है–

"कालावधि में छूट के वर्त्तमान प्रावधान के बावजूद प्रोन्नति के पद रिक्त रहने की स्थिति में धारित पद या उससे दो स्तर के नीचे के पदों से उच्चत्तर पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर तीनों पदों की कुल कालावधि यदि पूरी हो जाती है, तो वैसी परिस्थिति में धारित पद से उच्चत्तर पद के लिए निर्धारित कालावधि में 50 प्रतिशत तक की छूट अनुमान्य किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।"

3. साथ ही उक्त संकल्प की कंडिका–4 में पूर्व से उल्लिखित शब्द समूह 'पदों/वेतनमानों' से 'वेतनमानों' शब्द को विलोपित करने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि ए०सी०पी/एम०ए०सी०पी० के आधार पर स्वीकृत एवं उत्क्रमित वेतनमान/ग्रेड पे का लाभ कालावधि की गणना के लिए परिगणित नहीं किया जा सके।

संकल्प संख्या–398 दिनांक–16.01.2012 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

4. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

25/6/2013

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति नि०–07–05/2011 का०–5606/राँची, दिनांक 25/6/13

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

कृपया इसकी 500 (पांच सौ) प्रतियाँ कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को भी उपलब्ध करा दी जाय।

25/6/2013

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति नि०–07–05/2011 का०–5606/राँची, दिनांक 25/6/13

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/6/2013

सरकार के प्रधान सचिव।